फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

गणेशाराम बनाम मोहनराम

किस्म मुकदमा 223 आरटीए नम्बर 72 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.18	अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यनारायण तिवाड़ी उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही पांचू उत्तरी के खेत खसरा नम्बर 2617 रकबा 2.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 2739 रकबा 1.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 2742 रकबा 0.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 2751 रकबा 1.06 हेक्टर, खसरानम्बर 2795 रकबा 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 2796 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 2797 रकबा 1.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 2798 रकबा 0.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 2799 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 2800 रकबा 2.00 हेक्टर, खसरा नम्बर 2801 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 2802 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 2803 रकबा 1.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 2806 रकबा 3.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 2807 रकबा 1.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 2841 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 6590/2742 रकबा 1.54 हेक्टर कुल रकबा 19.10 हेक्टर भूमि स्थित है। वादगत् भूमि पर अदालत मातहत द्वारा बिना युक्तियुक्त तरीके से तामील करवाये एकतरफा तौर पर प्राथमिक डिकी जारी करते हुए विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त किये जाने के उपरान्त अंतिम डिकी जारी की गई है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02–02–2018 को प्रतिवादीगण/अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई तथा उसी दिन पत्रावली पर बहस सुनते हुए उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एक ही दिन में मात्र वादगीण/रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुँचानें की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर वाद प्रकिया को अपनाये बिना एकतरफा तौर पर आदेश पारित किया गया है।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के विभाजन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने पर मात्र पटवारी द्वारा प्रस्ताव बिना पक्षकारों की सहमति के तैयार किये गये है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थिति होकर पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करें। प्रकरण में विधि के इस सर्वमान्य सिद्वान्त की स्पष्ट रूप से अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

वादगत् भूम पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य कभी भी वाहमी विभाजन नहीं हुआ है। जबकि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में वाहमी विभाजन मानते हुए वादगत् भूमि के विभाजन के आदेश पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाहमी विभाजन व विशेष हिस्से की कहानी के अनुसार प्रस्ताव तैयार किये गये है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आराजी जैर अपील पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

अदालत मातहत द्वारा तमाम कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखते हुए अपीलांट को उनके हिस्से से बेदखल नहीं किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्राथमिक डिक्री दिनांक 02–02–2018 को जारी करते हुए दिनांक 26–02–2018 को अंतिम डिक्री जारी की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों व अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में अदालत मातहत की आदेशिकाओं का अवलोन करने पर यह पाया गया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 02–02–2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए उसी दिनांक को वादी/रेस्पोडेन्ट की बहस सुनते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए विभाजन के

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

प्रकरण में अदालत मातहत के निर्देशों की पालना में संबंधित तहसीलदार को मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षों की मौजूदगी में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए थे। जबकि प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित होता है वादगत् भूमि के विभाजन प्रस्ताव मात्र संबंधित पटवारी द्वारा तैयार किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उक्त प्रस्ताव पर संबंधित तहसीलदार के सी.एस. अर्थात (काऊन्टर साईन) अंकित करते हुए हस्ताक्षर किये गये है। जबकि विभाजन के मामलों में विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विभाजन के प्रस्ताव बाई मिट्ण्ड बाउण्ड्स तैयार करते हुए अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन पक्षकारों के मध्य करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा बिना विधि प्रकिया अपनाये ही उनके समक्ष प्रस्तुत दावे का निस्तारण किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत दावे में नियमानुसार हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी करते हुए, जवाब दावा व तनकीयात कायम करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया को दरकिनार करते हुए मात्र वादीगण/रेस्पोडेन्ट को अनावश्यक लाभ पहॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत का उक्त कृत्य एक प्रकार से न्यायिक प्रकिया का माखौल उड़ाने जैसा है। जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्याय की यह मंशा है कि पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा विधिक रूप से व प्रकिया को अपनाते हुए किया जावे ताकि पक्षकारों के अनावश्यक रूप से न्यायालय की शरण में जाने से बचाया जा सके। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा न्याय का गला घोटतें हुए व न्यायिक प्रकिया का अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा की प्राथमिक डिक्री दिनांक 02—02—2018 व अंतिम डिक्री दिनांक 26—02—2018 निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को नियमानुसार नोटिस

राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर

Scanned by CamScanner

जारी करते हुए सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व दावे में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर जवाब दावा व तनकीयात कायम करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner